के. सुब्बा रेड्डी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

28 सितम्बर 2007

[न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत एवं न्यायमूर्ति डी.के. जैन]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

धारा 7 - स्टॉक रजिस्टर वापस करने के लिए शिकायतकर्ता से आबकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगना और मांगे गए पैसे को अगले दिन होम गार्ड को सौंपने के लिए कहना-पैसा सौंप दिया गया-जाल बिछाया गया और होमगार्ड को दागी पैसे के साथ पकड़ा गया-नीचे की अदालतों ने उसे दोषी करार दिया-धारणा की- शुद्धता: सही नहीं है क्योंकि सामग्री यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि होम गार्ड को इस बात की कोई जानकारी थी कि जो पैसा सौंपा गया था वह रिश्वत था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्लू-1 और उसके पिता शराब की दुकानें चला रहे थे। आबकारी विभाग ने दुकान पर छापा मारा तो बिना लाइसेंस के कुछ स्टॉक मिला। उन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज

किया और यह उनकी सजा के साथ समाप्त हुआ। आबकारी अधीक्षक ने लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। ए-1, आबकारी उपनिरीक्षक ने अधीक्षक के निदेशानुसार दुकान को सील कर दिया। पीडब्लू-1 ने जब्त स्टॉक की रिहाई के निदेश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 के पक्ष में एक आदेश पारित किया, जिसमें आबकारी अधिकारियों को स्टॉक की रिहाई के निदेश दिये गये। पीडब्लू-1 ने सील हटाने और दुकान के दरवाजे खोलने के लिए ए-1 से संपर्क किया। ए-1 ने सील खोलने के लिए 5000/- रुपये की रिश्वत की मांग की, और जब पीडब्लू-1 ने असमर्थता व्यक्त की, तो ए-1 ने राशि घटाकर 3000/- रुपये कर दी। ए-1 ने उसे अगले दिन राशि का भुगतान करने के लिए कहा और आगे कहा कि यदि वह दुकानों की जांच के लिए जाता है, तो राशि ए-2-अपीलकर्ता को भुगतान की जा सकती है। अगले दिन, पीडब्लू-1 ने ए-2 को राशि का भुगतान किया। ए-2 ने नोट गिनकर, रकम अपनी बायीं जेब में रख ली। इसके बाद, ए-2 से राशि बरामद की गई और ए-2 की दोनों हाथों की उंगलियों और बाएं पैंट की जेब पर आयोजित फिनोलफथेलिन परीक्षण सकारात्मक साबित हुआ। विचारण न्यायलय ने ए-1 की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीडब्लू-1 ने राजकोष में जमा करने के उद्देश्य से उसे एक व्यक्ति 'एस' को सौंपने के लिए ए-2 को राशि का भुगतान किया और ए-1 और ए-2 दोनों को

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में, ए-2-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे कोई निश्चित भूमिका नहीं दी गई थी और कोई सामग्री यह दिखाने के लिए पेश नहीं की गई कि ए-2 को कोई जानकारी थी कि ए-1 को रिश्वत के रूप में पैसा दिया जा रहा था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. कोई सामग्री ए-2 के ज्ञान को दिखाने के लिए नहीं है कि पैसा रिश्वत का है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि पैसे का भुगतान 'एस' को किया गया था। इस संबंध में पीडब्लू-1 के साक्ष्य का हवाला दिया गया है। उसने केवल इतना कहा है कि ए-1 ने उससे कहा था कि अगर वह दुकानों की जांच के लिए बाहर गया तो पैसे ए-2 को सौंप दे।

[पैरा 7] [423-ई, एफ]

2. अपीलकर्ता (ए-2) प्रासंगिक समय पर होम गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उन्हें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कार्य सौंपे गए थे। पीडब्लू-1 द्वारा प्रतिपरीक्ष में यह स्वीकार किया गया कि म्यदुकुर में कोई उप-कोषागार नहीं है और यदि किसी को सरकार को पैसा भेजना है, तो उसे अलग-अलग स्थानों पर जाना होगा। यह भी माना जाता है कि दुकानों

या कुछ स्थानों पर काम करने वाले कुछ लड़कों को दुकान मालिकों द्वारा बताए गए अलग-अलग स्थानों पर पैसे देकर सरकारी खजाने में जमा करने का चलन है। यह भी स्वीकार किया गया कि 'एस' वह व्यक्ति था जो दुकान मालिकों की ओर से सरकार को राशि भेजता था। यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान अपीलकर्ता की स्टॉक रजिस्टर की वापसी में कोई भूमिका नहीं थी। [पैरा8][423-एफ,जी;424-ए,बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1309/2007

आपराधिक अपील संख्या 1362/1999 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 9.9.2005 से।

प्रतिवादी की ओर से डी. भारती रेड्डी।

सी.एस.एन. मोहन राव अपीलकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया।

1. याचिका अनुमत।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988(संक्षेप में 'अधिनियम')की धारा 7 के तहत

दंडनीय अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। अपीलकर्ता को एक अन्य आरोपी के साथ मुकदमे का सामना करना पडा था तथा सुविधा के लिए उसे इसके बाद ए-2 के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों आरोपीयों को अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को एक वर्ष के कठोर कारावास और व्यतिक्रम शर्त के साथ 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। हालाँकि, उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया।

3. अनावश्यक विवरण के बिना, मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

ए-1 ने कडप्पा जिले के म्यदुकुर में आबकारी सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया और ए -2 ने होम गार्ड के रूप में काम किया। पीडब्लू.1 वास्तविक शिकायतकर्ता है। म्यदुकुर में 1987 से उनके पिता सुब्बा रेड्डी एक शराब की दुकान चला रहे थे जो "ईस्वरा वाइन्स" के नाम से जानी जाती थी। पीडब्लू.1 ने "न्यू ईस्वरा वाइन्स" के नाम से जानी जाने वाली एक और शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया था और उक्त शराब की दुकान चला रहे थे। वह उक्त व्यवसाय में अपने पिता की सहायता कर रहा था। दिनांक 7.2.1988 को आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा ने उनकी उपस्थिति में उनके पिता की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी दल को बिना लाइसेंस का कुछ स्टॉक मिला. पीडब्लू.1 और उसके

पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और यह अप्रैल, 1994 में दोषसिद्धि के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने एक अपील दायर की और यह संबंधित समय पर लंबित थी। दिनांक 27.4.1994 को आबकारी अधीक्षक ने पीडब्लू-1 को उसके पक्ष में जारी लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिनांक 3.5.1994 को ए.1 ने आबकारी अधीक्षक के निदेशानुसार उसकी दुकान सील कर दी। दिनांक 4.5.1994 को पीडब्लू-1 ने प्रदर्श.पी4 उत्तर भेजा, जो आबकारी अधीक्षक को प्रदर्श.पी5 पावती के तहत प्राप्त हुआ। इसके बाद, पीडब्लू.1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष ए.1 द्वारा "न्यू एस्वारा वाइन्स" के नाम से ज्ञात अपनी दुकान से जब्त किए गए स्टॉक की रिहाई के निदेश देने की मांग हेतु 1994 का डब्लू.पी नंबर 9460 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.5.1994 को डब्ल्यू.पी.एम.पी. 1994 का क्रमांक 11535, में पीडब्लू. 1 के पक्ष में एक आदेश पारित किया जिसमें जब्त किए गए स्टॉक को रिहा करने के लिए आबकारी अधिकारियों को निदेश दिया गया। दिनांक 15.5.1994 को पीडब्लू.1 ने स्टॉक रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के साथ आबकारी अधीक्षक से संपर्क किया। उसी दिन, आबकारी अधीक्षक ने ए.1 को दुकान की सील खोलने और स्टॉक पीडब्लू.1 को सौंपने का निदेश दिया। पीडब्लू.1 ने सील हटाने और दुकान के दरवाजे खोलने के लिए ए-1 से संपर्क किया। उस समय ए-1 ने सील खोलने के लिए रिश्वत के रूप में

5,000/- रुपये की मांग की और जब पीडब्लू.1 ने असमर्थता व्यक्त की तो ए.1 ने राशि घटाकर 3,000/- रुपये कर दी। हालाँकि A.1 ने सील हटाकर दुकान खोली, लेकिन उसने तब तक स्टॉक रजिस्टर देने से इनकार कर दिया जब तक कि 3,000/- रुपये की रिश्वत नहीं दी गई। पीडब्लू.1, जिसका ए.1 को रिश्वत देने का कोई इरादा नहीं था ने दिनांक 16.5.1994 को एंटी करप्शन ब्यूरो (संक्षेप में 'एसीबी') के अधिकारियों को प्रदर्श.पी 10 शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन, पीडब्लू.7 और ट्रैप पार्टी के सदस्य शाम को लगभग 5.00 बजे ए-1 के कार्यालय पहुंचे। तुरंत, पीडब्लू.1 और 2 ए.1 के पास गये। जब ए-1 ने रिश्वत की मांग की, तो पीडब्लू.1 ने उसे बताया कि पैसा तैयार है, लेकिन ए -1 ने उसे अगले दिन यानी दिनांक 17.5.1994 को आने के लिए कहा और आगे बताया कि अगर वह दुकानों की जाँच के लिए जाता है, तो राशि का भुगतान ए.2, यानी वर्तमान अपीलकर्ता को किया जाए। अगले दिन यानी दिनांक 17.4.1994 को सुबह लगभग 11.30 बजे पीडब्लू-1 ने पीडब्लू-2 से मुलाकात कर ए-1 के बारे में पूछताछ की और ए-2 ने आकर पीडब्लू-1 से ए-1 द्वारा की गई मांग के अनुसार 3,000/- रुपये की रिश्वत मांग की। तदनुसार, पीडब्लू-1 ने ए.2 को राशि का भुगतान किया। ए.2 ने नोट गिनकर, रकम अपनी बायीं जेब में रख ली। इसके बाद, 'ए-2' से राशि बरामद की गई और ए-2 के दोनों हाथों की उंगलियों और बाएं पैंट की जेब पर किया गया फिनोलफथेलिन

परीक्षण सकारात्मक साबित हुआ। जांच पूरी होने के बाद पीडब्लू-8 ने आरोप पत्र पेश किया। आरोप विरचित किये गये. अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करने के लिए 8 गवाहों को परीक्षित करवाया और 23 दस्तावेजों को चिह्नित किया और 9 भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायलय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की। विचारण न्यायलय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य का हवाला दिया, जिसने दावा किया था कि ए-1 के निदेशों के अनुसार पैसा ए-2 को सौंप दिया गया था। ए-1 ने रिश्वत की मांग और स्वीकृति से इनकार किया और दलील दी कि पीडब्लू-1 ने इसे राजकोष में भेजने के उद्देश्य से एक व्यक्ति, सुब्बारायुडु को सौंपने के लिए ए-2 को राशि का भुगतान किया। विचारण न्यायलय ने माना कि दूषित धन ए-2 को दिया गया था और यह ए-2 से बरामद किया गया था। तदनुसार, ए-1 और ए-2 दोनों दोषी थे। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दोनों आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलकर्ता को कोई निश्चित भूमिका नहीं दी गई थी

और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई थी कि ए-2 को कोई जानकारी थी कि पैसों का भुगतान ए-1 को रिश्वत के रूप में किया जा रहा था। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कोई सबूत नहीं है यह दिखाने के लिए कि ए-2 को इस बात की जानकारी थी कि ए-1 को रिश्वत के भुगतान के उद्देश्य से उसका उपयोग माध्यम के रूप में किया जा रहा था। इसलिए,यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ए-1 द्वारा दायर संबंधित एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2113/2006 को खारिज कर दिया गया है। यद्यपि ए-2- वर्तमान अपीलकर्ता को ए-1 को रिश्वत दिए जाने के बारे में जानकारी होने के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि के तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह वास्तव में एक माध्यम था और पैसा उसे दिया गया था और उन्हें इसे ए-1 को सौंपने के लिए कहा गया था। इसके विपरीत, पूरी तरह से अस्वीकार्य दलील दी गई कि पैसा किसी और को दिया जाना था, जिसे विचारण न्यायलय और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायानुसार खारिज किया गया। पीडब्लू-1 का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7. रिश्वत के पैसे के संबंध में ए-2 की जानकारी के बारे में बताने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि पैसे का भुगतान सुब्बारायुडु को किया जाना था। इस संबंध में पीडब्लू-1 के साक्ष्य

का हवाला दिया गया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि ए-1 ने उनसे कहा था कि अगर वह दुकानों की जांच के लिए बाहर जाए तो पैसे ए-2 को सौंप दें।

8. अपीलकर्ता (ए-2) प्रासंगिक समय पर होम गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उन्हें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कार्य सौंपे गये। पीडब्लू-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि म्यदुकुर में कोई उप-कोषागार नहीं है और यदि कोई सरकार को पैसा भेजना चाहता है, तो उसे अलग अलग स्थानों परजाना होगा। यह भी माना जाता है कि दुकानों या कुछ स्थानों पर काम करने वाले कुछ लड़कों को दुकान मालिकों द्वारा बताए गए अलग-अलग स्थानों पर पैसे देकर सरकारी खजाने में जमा करने का चलन है। यह भी स्वीकार किया गया कि सुब्बारायुडु एक ऐसा व्यक्ति था जो दुकान मालिकों की ओर से सरकार को राशि भेजता था। यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान अपीलकर्ता की स्टॉक रजिस्टर की वापसी में कोई भूमिका नहीं थी। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि ए-1 स्टॉक रजिस्टर की वापसी के लिए रिश्वत का भुगतान चाहता था।

9. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, सामग्री अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तदनुसार उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.2.2006 के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके जमानत मुचलके उन्मोचित माने जायेंगे।

10. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी अल्का मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।